

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2015/फाल्गुन 4, 1936

No. 431]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2015/PHALGUNA 4, 1936

उपभोक्ता मामल[खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामल[विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2015

का.आ. 601(अ).—केन्द्र सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर, एतद्वारा श्रीमती मेरला श्रीशा को, समय-समय पर यथा-संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित निबन्धनों एवं शर्तों पर, दिनांक 22 जनवरी, 2015 पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु के हो जाने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जे-1(3)/2014-सी.पी.यू.]

मनोज परिडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2015

S.O. 601(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) read with Sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Smt. Merla Shreeshha, as whole-time Member of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the forenoon of the 22nd day of January, 2015, for a period of five years, or until she attains the age of 70 years, whichever is earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F. No. J-1(3)/2014-CPU]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.

924 GI/2015